...ायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. :71/2024	तारीख रजू 16.08.2024	निर्णय दिनांक 04.09.2024

सरकार बनाम सरूपी

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सलेमपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि सरूपी पत्नि मूडया जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों की झोपडी मिर्जापुर ने ग्राम सलेमपुर के खसरा नं. 745 में कुल रकवा 0.01 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायलान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब इस आशय पेश किया कि द्वारा उनके द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिचार नहीं किया है प्रार्थिया की खातेदारी भूमि उक्त रास्ता की भूमि के लगायत है तथा स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही काबिज है। यदि भूलवश कोई कब्जा हो गया है तो उसे हटा लेगी। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संवंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिचार नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायलान का सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है तथा अतिचारी के विरूद्व कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायलान का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायलान को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 0.08/– की 50 गुना शास्ति 8/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 8/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार